प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त अपर जिलाधिकार(वित्त एवं राजस्व)/

पदेन जिला निबन्धक,

उत्तर प्रदेश ।

संख्या /22165-227 दिनांक सितम्बर 10, 1992

महोदय,

प्रायः यह देखने में आया है कि उप निबन्धक द्वारा पंजीकृत लेखपत्र में रकबा मात्र अंकों में लिख दिया जाता है और उसमें बाद में तरह तरह के विवाद पैदा हो जाते है और रकबा घटाने और बढ़ाने की आशंका बनी रहती है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपनिबंधकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करें कि रजिस्ट्री होने वाले समस्त लेखपत्रों में रकबा स्पष्ट रूप से अंको और शब्दों लिखा जाय, जिससे किसी प्रकार का विवाद बाद में पैदा न हो सके।

भवदीय

ह०/–

(आर०एन०त्रिपाठी)

अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्रशा०)

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृ0सं0 /22227-256 तददिनांक

प्रतिलिपि- समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबंधन को इस आशय से प्रेषित कि जब भी वे उप निबन्धक कार्यालयों का निरीक्षण करने जाय तो उपरोक्त तथ्यों को भी देखें और उक्त के सम्बन्ध में भी अपने निरीक्षण टिप्पणी में उल्लेख करें।

ह०/–

(आर०एन०त्रिपाठी)

अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्रशा०)

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।